1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
	2	3

17-4-17

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 14 / 2015–16
आवेदक– सौरभ शर्मा
बनाम
विपक्षी– सुलतान शेख वगै0
आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्र सं0 17/रा0, दिनांक 11.01.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 22.01.2016 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी से कारणपृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उ0	द0	पु0	प0
मिर्जापुर	97/10	267	02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर	दाग नं0 256	दाग नं0 255	दाग नं0 255 (एन0एच0 80)	दाग नं0 256

अंतिम रूप से सुनवाई की तिथि निर्धारित किये जाने के बावजूद आवेदक स्वयं या उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई में भाग नहीं लिया। फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई की गयी।

आवेदक द्वारा दाखिल तथ्य विवरणी के अवलोकन से यह पाया गया कि मौजा मिर्जापुर जमाबंदी नं0 97/10 दाग नं0 267 कुल रकवा 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर जमीन के उत्तरी पूर्वी हिस्से के एन0एच0 80 की ओर 15 फीट x 15 फीट लगभग रकवा 08 धूर जमीन है। उक्त भूमि खतियानी रैयत धनेश्वर पाण्डेय के पुत्र भेखराज पाण्डेय को बंटवारे में मिला था। भेखराज पाण्डेय ने निबंधित केवाला सं0 2279 एवं 2282 दिनांक 02.07.1997 के द्वारा तोसनार उर्फ तोसराना बीबी पति मैमूल शेख के पास बिक्री कर दिया। तोसनार बीबी ने जमीन क्रय करने के पश्चात उक्त खरीदगी जमीन का नामांतरण कराकर सरकार को लगान दे रहे है। जमीन क्रय करने के पश्चात विपक्षी के सहायोगी जाकिर शेख वगै0 ने उक्त जमीन के अंश रकवा पर दखल करने का प्रयास करने लगा जिसको लेकर दं0प्र0सं0 की धारा 144 की कार्यवाही मैमूल शेख–बनाम्–जाकिर शेख चला। जिसमें सुनवाई के पश्चात विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। कार्यवाही वाली सम्पूर्ण जमीन का खतियानी रैयत धर्मनारायण पाण्डेय, भागवत पाण्डेय एवं धनेश्वर पाण्डेय थे। तीनों खतियानी रैयतों ने अपने–अपने सहुलियत के अनुसार दिनांक 09.07.1996 को बंटवारा कर लिया गया। जिसमें सबों का हस्ताक्षर अंकित है। तोसनारा बीबी पति मैमूल शेख ने उक्त खरीदगी जमीन को अपनी दो पुत्रियों के नाम बिक्री कर दिया। उक्त जमीन के खतियान में बाडी अव्वल कहकर दर्ज है। आवेदक सौरभ शर्मा द्वारा

Scanned with CamScanner

दावा किया गया कि मौजा मिर्जापुर के जमाबंदी नं0 97/10 दाग नं0 297रकवा 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर की जमीन को उनके पिता केदार शर्मा द्वारा निबंधित केवाला सं0 1180/1159 दिनांक 22.02.2013 द्वारा तोसनारा बीबी पति मैनुल शेख उनके दो पुत्री मासकुरा खातुन एवं जुली खातुन (नाबालिग) ने निबंधित मुक्तार नामा सं0 256/3 सुबोल साहा पिता जीतन साहा निवासी ग्राम केलाबाडी नयाटोला थाना रांगा के पक्ष में दिनांक 24.01.2013 को निष्पादित किया गया था। आधार पर 02 लाख 65 हजार रूपया में खरीदे थे तथा अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया था। इसी बीच मृत कौशल्या देवी के स्थान पर किसी अन्य को खड़ाकर सुल्तान शेख वगै0 के नाम से दाग नं0 267रकवा 11 कट्ठा जमीन का केवाला बना लिया। जिसके आधार पर कार्यवाही वाली जमीन का प्रकृति बदलने का प्रयास कर रहे है। जबकि आवेदक के पिता केदार शर्मा कार्यवाही वाली जमीन का नामांतरण कराकर सरकार को लगान दे रहे है। इसके बावजूद विपक्षीगण कार्यवाही वाली भूमि के अंश रकवा को जबरन हडप लिये हैं तथा बाडी अव्वल वाली जमीन पर झोपड़ी आदि का निर्माण कर दिये है। आवेदक के पिता केदार शर्मा ने स्वयं एक स्वत्व वाद टी0एस0 नं0 101/2013 व्यवहार न्यायालय, राजमहल में दाखिल किया है। जिसमें विपक्षी के निबंधित विक्रय पत्र को रद्द करने से संबंधित है। खतियानी रैयतों के बीच चले स्वत्व वाद सं0 61/2008 इस वाद के प्रतिवादी अधिवक्ता ही वादी के अधिवक्ता थे। जिन्होंने विपक्षी के विक्रेता कौशल्या देवी की मृत्यू हो गई का तामिला करवाकर एक पक्षीय घोषित कराया था। कुसंयोग के कारण उक्त बंटवारा वाद दिनांक 18.12.2010 को खारिज हो गया है। अतएव विपक्षीगण बिना अधिकार के आवेदक के पिता के नाम से खरीदी जमीन जिसका लगान सरकार को दे रहे है, के आंशिक रकवा को दखल कर लिया है। अतएव विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अधीन उच्छेद करने की प्रार्थना की गयी है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दाग नं0 267 का 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर जमीन खरीदगी के आधार पर इस वाद के माध्यम से दावा किया गया है। लेकिन विक्रेता को जितना जमीन बेचने का अधिकार था उतना ही जमीन का स्वत्व क्रेता को मिलेगा। लेकिन दाग नं0 267 का खतियानी रैयत धर्मनारायण पाण्डेय, धनेश्वर पाण्डे एवं भागवत पाण्डे है। प्रत्येक खतियानी रैयत को ⅓ तिहाई अर्थात 14 कट्ठा 06⅓ धूर जमीन मिलेगा। खतियानी रैयत धर्मनारायण पाण्डे का एक ही पुत्र मातादीन पाण्डे उसे 14 कट्ठा 06⅓ धूर जमीन मिला था। धनेश्वर पाण्डे को 04 लडका में एक लडका भीखराज पाण्डे कैसे पुरी जमीन तोसनारा बीबी वगै0 के पास बेच दिया तथा धनेश्वर पाण्डे का लडका रामजनम पाण्डे के मृत्यू के बाद कौशल्या देवी अपना हिस्सा विपक्षियों के पास बेची जिसपर विपक्षीगण दखल कर रहे है तथा कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा वाद सं0 101/2013 एवं पंचानन्द पाण्डे के द्वारा स्वत्व वाद सं0 21/2016 दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्र सं0 17/रा0, दिनांक 11.01.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा मिर्जापुर थाना सं0 156 जमाबंदी नं0 97/10 दाग नं0 267 रकवा 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर जमीन पंजी II में आवेदक के पिता स्व0 केदार शर्मा के नाम से दर्ज है तथा लगान अद्यतनह"। विपक्षी सुलतान शेख वगै0 सा0 मिर्जापुर (फुटानी मोड) थाना बरहरवा के रहने वाले है। विपक्षीगण ने आवेदक की जमीन दाग नं0 267 रकवा 11 कट्ठा जमीन

Scanned with CamScanner

पर झोपडी टाली का घर बनाकर अवैध ढंग से दखल कर रखा है। विपक्षीगण से कागजात की मांग करने पर दिखाने से इनकार किया है। इसी जमीन दं0प्र0सं0 की धारा 144 की कार्यवाही क्रि0मि0 वाद सं0 296/2013 चला था। जिसमें विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश पारित हुआ है। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि विपक्षीगण अनावादी खाता सं0 147/क दाग नं0 255 रकवा 03 बीघा 09 कट्ठा 11 धूर जमीन खतियान में आम रास्ता कहकर दर्ज है। जिसमें दुकान बनाकर दखल कर रखा है। ताकि आवेदक अपने जमीन में नहीं जा सके। विपक्षी की अवैध दखल के कारण आवेदक को अपनी जमीन दाग नं0 267 में आने–जाने में कठिनाई का सामना करना पड रहा है। निकास को लेकर आवेदक एवं विपक्षीगण के बीच झंझट होते रहता है। अतएव अतिक्रमण उठाने की कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

उभय पक्षों ने निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है।

प्रथम पक्ष ने निम्न कागजात दाखिल किया है:–

1. स्वत्व वाद सं0 61/08 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2009 का प्रति एवं तामिला प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
2. क्रि0मि0 वाद सं0 296/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
3. मौजा मिर्जापुर जमाबंदी सं0 97/10 रकवा 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर से संबंधित वर्ष 2013–14 एवं 2015–16 का लगान रसीद केदार शर्मा के नाम से निर्गत रसीद की छाया प्रति दाखिल किया है।

द्वितीय पक्ष की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. स्वत्व वाद सं0 101/2013 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2016 की प्रति एवं आवेदन की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
2. स्वत्व वाद सं0 101/2013 में निर्गत नोटिस की छाया प्रति।
3. स्वत्व वाद सं0 101/2013 में दाखिल आवेदन पत्र की छाया प्रति।
4. ग्राम प्रधान पिण्डारी, बेलहरी बलिया (उ0प्र0) द्वारा निर्गत जिवित/निवास प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रति की छाया प्रति।
5. जिलाधिकारी, बलिया को प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2015 की छाया प्रति।
6. कौशल्या देवी द्वारा निष्पादित शपथ पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारणपृच्छा एवं कागजातों तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

1. मौजा मिर्जापुर जमाबंदी नं0 97/10, दाग नं0 267 रकवा 02 बीघा 02 कट्ठा 19 धूर जमीन खतियान में धर्मनारायण पाण्डे, धनेश्वर पाण्डे एवं भागवत पाण्डे के नाम से दर्ज है।
2. कार्यवाही वाली जमीन खतियानी रैयत धनेश्वर पाण्डेय के पुत्र भेखराज पाण्डेय से तोसनारा बीबी ने क्रय कर प्राप्त किया एवं नामांतरण कराकर सरकार को लगान भी दी। तत्पश्चात उन्होने अपनी दो पुत्री के नाम से निबंधित केवाला द्वारा बिक्री कर दिया। जिसे निबंधित मुख्तारनामा के द्वारा सुबोध साहा ने प्राप्त किया। जिनेस आवेदक के पिता केदार शर्मा ने निबंधित केवाला से क्रय कर प्राप्त किये हैं तथा नामांतरण कराकर

Scanned with CamScanner

आदेश

सरकार को लगान दे रहे हैं।

3. इसी जमीन को लेकर सिविल कोर्ट, राजमहल में स्वत्व वाद सं0 101/2013 केदार शर्मा–बनाम्–सुलतान शेख एवं अन्य के मध्य दाखिल है तथा विचाराधीन है तथा ओरजीनल सूट सं0 21/16 पंचानंद पाण्डेय–बनाम्–सौरभ शर्मा दाखिल है, जो विचाराधीन है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा यह वाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अधीन विपक्षीगण के द्वारा किये गये अवैध दखल से उच्छेद करने हेतु दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने जाँच के क्रम में भी विपक्षीगण को अवैध दखलकार पाया है। लेकिन इसी जमीन को लेकर खतियानी रैयत के वारिसान तथा आवेदक के बीच एवं आवेदक के पिता केदार शर्मा एवं विपक्षीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित है। साथ ही आवेदक द्वारा दाखिल भूमि खरीदगी जमीन है। इस वाद के पूर्व से ही स्वत्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा दाखिल भूमि खरीदगी जमीन है। अर्थात आवेदक खतियानी रैयत के वारिसान के अंतर्गत नहीं आते है। उक्त तमाम परिस्थियों के कारण इस वाद का निस्तारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अधीन नहीं किया जा सकता है। आवेदक स्वत्व वाद के अंतिम आदेश का इंतजार करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/4/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

23/4/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner